न्यायालय उपखण्ड, दांतारामगढ जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 119 /2017/TI

1. भंवरलाल पुत्र नाथूराम जाति जांगिड निवासी चक (गोपीनाथपुरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1 राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय चक (गोपीनाथपुरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.) जरियेः प्रधानाध्यापक॥

2 राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर॥

—अप्रार्थीगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–
1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रार्थी की ओर सें॥
2. श्री शिवपाल सिंह वकील अप्रार्थी सं0 1 की ओर सें॥

निर्णय

दिंनाक :– 01.07.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि ग्राम चक तहसील दांतारामगढ मे प्रार्थी की एक आवासीय गुवाड़ी व बाडा स्थित है जिसमें आवेदक ने विद्युत संबंध व नल कनेक्शन ले रखा है। उक्त गुवाड़ी के पूर्व व उत्तर दिशा में गौचर भूमि है ग्राम चक में भूमि खसरा नम्बर 317 चारागाह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिसके सेटलमेंट के बाद अलग अलग नम्बर डाल गये एवं भूमि खसरा नम्बर 239 रकबा 9.19 हैक्टेयर चारागाह दर्ज हो गई उसके बाद चारागाह भूमि में सें खैल मैदान हेतु अनावेदक सं0 1 के नाम भूमि खसरा नम्बर 239/1 में सें खसरा नम्बर 239/3 खेल मैदान हेतु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई। भूमि ख0नं0 239/3 रकबा 2.53 हैक्टेयर तन ग्राम चक मे वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर मौजूद है मगर नक्शे में गलत रूप सें अंकन हुआ है अतः नक्शा ट्रेस में संशोधन किया जाना न्याय संगत है। अनावेदक सं0

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

1 गलत नक्शा ट्रेस की आड़ में आवेदक को बेदखल करने पर आमादा है अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पावंद फरमाया जावे कि सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 239/3 तन ग्राम चक के गलत नक्शा ट्रेस की आड़ में आवेदक के रिहायशी मकानात गुवाड़ी, बाड़े को तोड़ फोड़ करने खुर्द बुर्द कर आवेदक को बेदखल करने व अन्य किसी प्रकार सें दखलंदाजी करने सें बाज रहे।

2. आवेदन पेश होने पर अनावेदकगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर सें वकील श्री शिवपाल सिंह उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी सं0 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 की ओर सें जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया गया कि आवेदक की कोई पट्टेशुदा व कब्जेशुदा गुवाड़ी व बाड़ा मौके पर अंवस्थित नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 239/3 रकबा 2.53 हैक्टेयर की जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस विधिवत रूप सें एवं सही रूप सें बनी है इसलिए तथाकथित नक्शा ट्रेस में संशोधन किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है तथा आवेदक का आवेदन सारहीन व कानूनी प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है।

3. बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। **विवादित भूमि खसरा नम्बर 239/3 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन खेल मैदान के नाम सें दर्ज है और खसरा नम्बर 239/1 रकबा 9.13 हैक्टेयर में सें 2.53 हैक्टेयर भूमि को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर द्वारा चारागाह से पृथक की जाकर सिवायचक घोषित की गई है।** चूंकि राजस्व रिकॉर्ड एवं जमाबंदी में प्रश्नगत भूमियां अप्रार्थी सं0 1 के नाम गैर मुमकिन खेल मैदान के नाम सें दर्ज है। प्रकरण सरकारी विद्यालय के खेल मैदान सें संबंधित तथा विद्यार्थियो की मूलभूत आवश्यकताओं सें संबंधित है। विद्यार्थियों के हित निहित एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर प्रथमदृष्ट्या मामला अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में होने के कारण पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करते हुए प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो और मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner